भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या - 103
(जिसका उत्तर मंगलवार, 5 मई, 2015 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम में संशोधन

***103. श्री रंगासायी रामाकृष्णा :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारपोरेट सामाजिक दायित्व को आंकने और उसे परिमाणात्मक बनाए जाने हेतु कंपनी अधिनियम के उपबंधों में संशोधन किया जाएगा?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम में संशोधन से संबंधित दिनांक 05 मई, 2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार इस अधिनियम के सीएसआर उपबंध का अनुपालन करने के लिए पात्र कंपनियों को निर्धारित पद्धति से उनकी बोर्ड रिपोर्ट में अपनी सीएसआर नीतियों के अंशों को सार्वजनिक करने के लिए अधिदेशित किया गया है। कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(1) में वह प्रपत्र विहित है, जिसमें विवरणों सहित सीएसआर संबंधी अंशों को वार्षिक रूप से सार्वजनिक किया जाना है (प्रपत्र की प्रति उपाबंध पर संलग्न है)। इन उपबंधों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

<u>उपाबंध</u>

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम में संशोधन से संबंधित दिनांक 05 मई, 2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के विवरण में उल्लिखित उपाबंध</u>

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूप-रेखा, जिसमें शुरू करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वैब-लिंक का संदर्भ शामिल हो।
2. सीएसआर समिति की संरचना।
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।
4. विहित सीएसआर व्यय (ऊपर मद 3 में दी राशि का दो प्रतिशत राशि)
5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे:
   (क) वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम:
   (ख) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम:
   (ग) वह रीति जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई रकम के व्यय का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित दिया गया है:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	अभिज्ञात सीएसआर परियोजना/ कार्यकलाप	वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) (उस जिले/ राज्य का नाम जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाया गया)	परिव्यय रकम (बजट) परियोजना/ कार्यक्रम-वार)	परियोजना/ कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम **उप-शीर्ष**: (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय, (2) उपरिव्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई रकमः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयनकारी अभिकरण* के माध्यम से
1.							
2.							
3.							
	योग						

*कार्यान्वयनकारी अभिकरण के ब्यौरे दें:

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% या उसका कोई भाग खर्च करने में असफल रही है तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में रकम खर्च न करने के कारण बताएगी।

7. सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व-परक कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)	हस्ताक्षर

(मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक)		(अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति) (जहां लागू हो)

*****